न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–584 / 2026

राकेश राम बनाम् बिहार सरकार

बिदुपुर थाना कांड संख्या–605 / 2022

अंतर्गत धारा– 302 / 34 भा0द0सं0।

21-05-2026 बिदुपुर थाना कांड संख्या–605 / 2022, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302 / 34 में अभिरक्षाधीन आवेदक **राकेश राम उम्र–31 वर्ष पेसर–मुसाफिर राम साकिन–कंचनपुर, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली,** जो दिनांक–01.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, में धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री प्रवीण कुमार** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** एवं सूचिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री रमेश कुमार शुक्ला** को सुना।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2286 / 2024 दाखिल किया गया था जिसे पारित आदेश दिनांक–11.12.2024 से अस्वीकृत किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–12.11.2022 को समय करीब 10:00 बजे सुबह में सूचिका का लड़का शहंसा कुमार को अखलेश राम, कुन्दन राम, राकेश राम एवं मनिष कुमार सभी मिलकर सूचिका के लड़का शहंसा कुमार को उसके घर से बुलाकर चारा काटने के लिए दियर में ले गये। समय करीब 05.00 बजे शाम तक सूचिका का लड़का घर नहीं आया तो उस व्यक्ति से सूचिका पूछने गयी कि उसका लड़का अभी तक घर नहीं आया है और वे लोग अपना घर आ गये है। इसी बात पर सभी व्यक्ति सूचिका के लड़का के बारे में कुछ बताने से इंकार कर गया और डॉटकर सूचिका को भगा दिया। सूचिका को पूर्ण विश्वास है कि सभी अभियुक्तगण मिलकर उसके लड़का की हत्या कर दिये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है तथा उसे मिथ्या रूप से इस मामला में दुश्मनी एवं गांव की राजनीति के कारण फंसाया गया है। आवेदक दिनांक–01.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढंन्त है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के पास से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है और उभय पक्षों के बीच सुलह हो गई है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्राथमिकी अनुसार आवेदक के विरूद्व कोई

Web Copy Not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–584 / 2026

राकेश राम बनाम् बिहार सरकार

लगातार

21.05.2026 अपराध नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि वास्तविकता यह है कि सूचिका का पुत्र पोखर में डूबने से मर गया और उक्त बात की खबर जब सूचिका को हुई तो उसने उक्त बात में समझौता कर ली। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये कथन किये है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पुत्र का हत्या कर देने का आरोप है। ऐसा व्यक्ति जमानत का लाभ पाने के हकदार नहीं है। निवेदित है आवेदक का नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, पूरक अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथिमकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पुत्र का हत्या कर देने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका 59 एवं 61 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा आवेदक के साथ मृतक शहंसा कुमार को लटियाही दियर में जाते हुए देखने की बात कही गई है। कांड दैनिकी की कंडिका 16 में मृतक शहंसा कुमार का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है जिसमें मृत्यु का कारण पानी में डुबना बताया गया है और कांड दैनिकी की कंडिका 19 में मृतक शहंसा कुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि मृतक के शरीर पर चोटे पायी गई है और उसके पेट में बालू मिश्रित पानी पाया गया है और मृतक का मृत्यु पानी में डुबना बताया गया है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि मृतक के साथ मृत्यु के पूर्व मारपीट की घटना कर उसे पानी में डाला गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 36 में आवेदक सहित अन्य अभियुत के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302, 201 / 34 के अंतर्गत काण्ड सत्य पाया गया है। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों एवं जमानत आवेदन की कंडिका 15 से विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच सुलह हो गई है जिसका समर्थन आज सूचिका न्यायालय में उपस्थित होकर की है लेकिन उक्त मामला हत्या जैसे गंभीर आरोप का है और धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता सुलहनीय नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्तगण कुन्दन राम एवं मनीष कुमार को माननीय उच्च

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–584 / 2026

राकेश राम बनाम् बिहार सरकार

लगातार

21.05.2026 न्यायालय पटना द्वारा आपराधिक विविध वाद सं0–82350 / 2024 में पारित आदेश दिनांक–18.02.2025 एवं आपराधिक विविध वाद सं0–48955 / 2025 में पारित आदेश दिनांक–18.07.2025 से नियमित जमानत की सुविधा उसके न्यायिक अभिरक्षा की अवधि पर विचार करते हुए दिया गया है जो क्रमशः दिनांक–09.08.2024 एवं 13.01.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में था। लेकिन आवेदक राकेश राम दिनांक–01.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है और उसके विरूद्व अभी पुरक अनुसंधान जारी है।

मामले के तर्कों, आवेदक पर हत्या जैसी आरोप की प्रकृति तथा वाद की परिस्थितियों के विवेचनोपरांत आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त आवेदक का नियमित जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy Not Official